न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—69/2021 (2021/193) वाद पत्र

अनवान

1—दिनेशकुमार पिता सत्यनारायण ब्राहम्ण निवासी थोरियाखेड़ा (भींटा) तहसील रायपुर
2—सागर पिता सत्यनारायण ब्राहम्ण निवासी थोरियाखेड़ा (भींटा) तहसील रायपुर
3—संगीता पुत्री सत्यनारायण ब्राहम्ण निवासी थोरियाखेड़ा (भींटा) तहसील रायपुर
4—मीना पुत्री सत्यनारायण ब्राहम्ण निवासी थोरियाखेड़ा (भींटा) तहसील रायपुर

वादीगण

बनाम

1—गंगाबाई पत्नि हुक्मीचन्द ब्राहम्ण निवासी थोरियाखेड़ा (भींटा) तहसील रायपुर
2—प्रेमबाई पुत्री हुक्मीचन्द ब्राहम्ण निवासी थोरियाखेड़ा (भींटा) तहसील रायपुर
3—सत्यनारायण पिता हुक्मीचन्द ब्राहम्ण निवासी थोरियाखेड़ा (भींटा) तहसील रायपुर
4—हीरा पिता हुक्मीचन्द ब्राहम्ण निवासी थोरियाखेड़ा (भींटा) तहसील रायपुर
5—प्रशान्त कुमार टांक पिता नन्दलाल टांक निवासी बोराणा तहसील रायपुर
6—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद— अधिवक्ता वादीगण
2. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः—13.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 की पुश्तैनी एवं पैतृक कृषि आराजियात ग्राम थोरियाखेड़ा पटवार हल्का भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में साबिक राजस्व खाता संख्या 118 में अकिंत साबिक आराजी संख्या 223, 224/1 कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि खातेदार हुक्मीचन्द पिता किशना ब्राह्म्ण के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। इसी प्रकार प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 की पुश्तैनी कृषि आराजियात ग्राम भटेवर की बैरून हल्का आबादी में साबिक राजस्व खाता संख्या 208 में अकिंत साबिक आराजी संख्या 453/1, 543, 544, 545, 546, 547, 549/1 कुल किता 7 कुल रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि खातेदार हुक्मीचन्द पिता किशनलाल ब्राह्म्ण के नाम दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में साबिक नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजियात वादीगण के दादा के नाम दर्ज रेकार्ड थी उनकी मृत्यु होने के बाद ग्राम थोरियाखेड़ा व ग्राम भटेवर की साबिक आराजियात का नामान्तकरण संख्या 245 दिनांक 28.02.1996 व 388 दिनांक 27.07.1996 को विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के नाम पर दर्ज रेकार्ड हुआ। तहसील रायपुर का भू प्रबन्ध होने से ग्राम थोरियाखेड़ा व ग्राम भटेवर का भू प्रबन्ध [illegible] ग्राम थोरियाखेड़ा की साबिक आराजी संख्या 223 व 224/1क के नवीन [illegible] है0, 537 रकबा 0.01 है0 गे. मु.आचा., 538 रकबा 0.36 है0, 53[illegible] रकबा 0.22 है0, 578 रकबा 0.30 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.33 है0 [illegible] भटेवर की साबिक आ[illegible]453/1, 543, 544, 545, 546, 547, 549/1 कुल किता 7 कुल रकबा 7 बीघा 14 बि[illegible] भूमि के नवीन आराजी संख्या 1175 रकबा 0.32 है0, 1941 रकबा 0.22 है0, 1942 रकबा 0.02 है0 गे.मु.आ.चा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:33 IST
Reason: SelfAttested

1943 रकबा 0.16 है0, 1946 रकबा 0.08 है0, 1947 रकबा 0.26 है0, 1948 रकबा 0.15 है0, 1949 रकबा 0.15 है0, 1950 रकबा 0.08 है0, 1964 रकबा 0.11 है0, 1965 रकबा 0.11 है0, कुल किता 11 कुल रकबा 1.66 है0 भूमि के नवीन नम्बर कायम किये गये। प्रमाण में मिलान क्षैत्रफल एवं नवीन जमाबन्दी प्रस्तुत की है। ग्राम थोरियाखेड़ा के नवीन खाता संख्या 133 में अकिंत कुल रकबा 1.33 है0 भूमि में प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 3 का संयुक्त रूप से 5/12 हिस्सा निहित था। इसी प्रकार ग्राम भटेवर के खाता संख्या 237 में अकिंत कुल रकबा 1.66 है0 भूमि प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 3 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था। उक्त दोनो खातो में प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 3 के प्रथम श्रेणी के वारीसान है। प्रार्थीगण के हक व हिस्से की उक्त सम्पूर्ण भूमियां उनकी पुश्तैनी व पैतृक है जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का ग्राम थोरियाखेड़ा के राजस्व खाता संख्या 133 में 5/60 वां हिस्सा व ग्राम भटेवर के राजस्व खाता संख्या 237 में अकिंत आराजियात में क्रमशः 1/20 हिस्सा निहित होकर प्रार्थीगण प्रत्येक अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। विपक्षी संख्या 3 प्रार्थीगण के पिता है जिसने प्रार्थीगण को अपने जायज हक से महरूम करने की गरज से उक्त वर्णित खाता संख्या 133 व 237 में अकिंत अपने सम्पूर्ण हिस्से को दिनांक 20.09.2021 को विपक्षी संख्या 5 को एक नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित कर सम्पूर्ण हिस्सा विपक्षी संख्या 5 को विक्रय कर दिया। विक्रय शुदा भूमियां प्रार्थीगण की पैतृक एवं पुश्तैनी भूमियां जिसको विपक्षी संख्या 3 को विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है, और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षी संख्या 3 द्वारा निष्पादित कराये गये विक्रय पत्र की आड़ में प्रार्थीगण को बेदखल कर देंगे तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उक्त वादवर्णित आराजियात में निहित प्रार्थीगण को अपने हक एवं हिस्से से जबरन बेदखल नही करे, प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवे, किसी अन्य अजनबी को प्रवेश नही करावे। न ही किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस करें। मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 6 फोरमल पक्षकार है।

विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अंकन किया कि वादवर्णित भूमियां प्रार्थीगण की पैतृक एवं पुश्तेनी नही है प्रार्थीगण का उक्त वर्णित भूमियों में किसी प्रकार का कोई हक एवं हिस्सा नहीं हैं। प्रार्थीगण ने 5/12 और 5/60 हिस्सा किस गणना और किस विधि के अनुसार अंकित किया हैं। इसका कोई अंकन स्पष्ट नहीं हैं। वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक नहीं हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमियों में किसी भी प्रकार का कोई हक एवं हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। विपक्षी संख्या 03 प्रार्थीगण का पिता हैं, किन्तु प्रार्थीगण ने व उनकी [illegible] जिश रचकर आज से करीब 20 वर्ष भी अधिक समय से विपक्षी संख्या 03 का परि[illegible] रखा हैं। और विपक्षी संख्या 03 ग्राम थोरियाखेड़ा में निवास कर रहा है, [illegible] या (महाराष्ट्र) में निवास कर हैं। प्रार्थीगण का कोई हक एवं हि[illegible] करने की गरज से खाता संख्या 133 व 237 में निहित उसके [illegible] या 03 दिनांक 20.09.2021 को विक्रय नहीं किया, बल्कि परिवार की जायज जरूरत एवं पारिवारीक आवश्यकता की दृष्टि से भूमियों को विक्रय किया है। उक्त वर्णित भूमियां प्रार्थीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक नहीं हैं। न ही उनका कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:33 IST
Reason: SelfAttested

हक एवं हिस्सा ही हैं। प्रार्थीगण किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी भी नहीं हैं। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा एक वाद पत्र हक एवं हिस्से की घोषणा बाबत् प्रस्तुत किया, जो आधारहीन तथ्यो पर बेबुनियाद और कानून के विपरीत होने से अवश्यमेव खारीज होगा। मजीद कथन रूप में निवेदन किया कि आज से करीबन 30 वर्ष पूर्व हम विपक्षीगण हमारे परिवार को लेकर धुलिया (महाराष्ट्र) चले गये थे और वही पर हलवाई का धन्धा किया और हमारी माता पानी बाई ग्राम थोरियाखेड़ा में ही निवास करती थी। मुझ विपक्षी संख्या 03 सत्यनारायण की पत्नि अणछीदेवी व प्रार्थीगण ने शुरू से ही मेरी माता को साथ नहीं रखने दिया और इसी बात को लेकर आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व प्रार्थीगण व उनकी माता अणछी देवी ने विपक्षी संख्या 03 सत्यनारायण जो उनके सगे पिता व पति हैं, को त्याग दिया और उनसे अलग रहने लग गये और सत्यनारायण अलग रहकर अपना भरण पोषण करने लगा। तब से प्रार्थीगण उसके पिता से अलग ही निवास कर रहे हैं। विपक्षी संख्या 03 सत्यनारायण को टी.बी. व श्वास की बीमार लग गई। जिससे उससे कोई काम धन्धा या मजदुरी नहीं होती हैं। करीबन 7 वर्ष पूर्व विपक्षीगण की माता पानीदेवी भी बीमार हो गई तो विपक्षी सत्यनारायण व हीरालाल को ग्राम थोरियाखेड़ा आकर ही रहना पड़ा और माता पानीदेवी की बीमारी हालात में देखभाल व ईलाज करवाना पड़ा। इसमें प्रार्थीगण न तो ग्राम थोरियाखेड़ा आये और न ही विपक्षीगण की माता पानीदेवी की देखभाल की न सेवा चाकरी की। न ही उनकी सारसभाल की। इतने में गंगाबाई और प्रेमदेवी के पुत्र पुत्रियों की शादियां होने से मायरे मुकलावे करे पड़े, उसमें भी प्रार्थीगण ने कोई हक एवं हिस्सा और रूपया नहीं दिया, जिससे विपक्षीगण के कर्जा हो गया और प्रार्थीगण चारों की शादी विपक्षी संख्या 03 सत्यनारायण ने करवाई। जिससे काफी रूपयों का कर्जा हो गया फिर आज से करीबन पांच वर्ष पूर्व विपक्षीगण की माता पानीदेवी का स्वर्गवास हो गया, उसमें सामाजिक कार्यक्रम दाह संस्कार, पिण्डदान, तर्पण आदि किये, उसमें भी कर्जा हुआ तथा पानीदेवी की बीमारी में भी रूपये लगाने पड़े और अब स्वयं सत्यनारायण खुद टी.बी. की बीमारी और श्वास की बीमारी से ग्रषित होकर बीमारी से पीड़ित हैं और काफी कर्जा लेकर वह अपना ईलाज करवा रहा हैं। प्रार्थीगण ने ग्राम थोरियाखेड़ा में विपक्षीगण संख्या 03 सत्यनारायण जो उनका सगा पिता हैं, को मरनासन अवस्था में छोड़ रखा। उसकी कोई सुध बुध नहीं ले रहे हैं। इस कारण विपक्षीगण संख्या 03 के जीवित रहने के लिये काफी कर्जा उधार लेना पड़ा और वह भरण पोषण के लिये मोताज हैं। इन सभी पारीवारिक जिम्मेदारियों के लिये विपक्षीगण संख्या 03 व अन्य विपक्षीगण ने सहयोग देकर उक्त वर्णित भूमियों का विक्रय विपक्षीगण संख्या 5 के पक्ष में किया है। प्रार्थीगण द्वारा शुन्य प्रभावी घोषित कराये जाने की दाद चाही गई है जिससे जब तक सिविल न्यायालय द्वारा उक्त विक्रय पत्र निरस्त घोषित नही हो जाता तब तक प्रार्थीगण कोई अनुतोष करने का अधिकारी नही है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को सव्यय खारीज फरमाया जावें व विपक्षीगण को जलील एवं परेशान करने के लिये धारा 35 (अ) सी.पी.सी. के तहत् विशेष हर्जा खर्चा प्रार्थीगण से विपक्षीगण को दिलवाया जावे।

प्रकरण में [illegible] सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस [illegible] पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य निवेदन किया कि प्रार्थीगण वि[illegible] पुत्री है। प्रार्थीगण ने अपना हिस्सा इस आधार से मांगा कि विपक्षी सं[illegible]को भूमि विक्रय कर दी है जानकारी मिलते ही वाद व प्रार्थना [illegible] आवंटनशुदा भूमि विक्रय की गई है उसका प्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर क्षतिपूर्ति प्रार्थीगण को हो रही है। कब्जा प्रार्थीगण के पास है। विपक्षी संख्या 5 के नाम आवंटन शुदा भूमि

का नामान्तकरण हो चुका है। विपक्षी संख्या 3 का कथन है कि खर्चा नही देने से एवं विपक्षी संख्या हार्ड पेशट होने से इलाज हेतु भूमि विक्रय की गई है। विपक्षी के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थीगण सेवा नही कर रहे हो। केता अजनबी व्यक्ति है अगर नामान्तकरण खुल गया तो प्रार्थीगण को परेशान करेगा। सम्पति विवादित है। मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निषेधाज्ञा जारी की जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य कथन किया कि वाद धारा 88 का पेश किय गया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत् अधिकारो के साथ कर्त्तव्य भी निर्धारित किये गये है। विपक्षी संख्या 3 की मां बिमार थी उस समय प्रार्थीगण को कहा तो उन्होने सेवा करने व खर्चा करने से मना कर दिया और मां की मृत्यु के दौरान भी उपस्थित नही हुए। प्रार्थीगण के पिता बिमार होने पर काफी खर्चा हो गया जिसको भुगतान करने के लिये भूमि विक्रय की गई है। विपक्षी संख्या 3 कर्ता खानदान है अगर कोई व्यक्ति कर्त्तव्य का पालन नही करता है तो उसको उसका अधिकार भी नही होता है। कर्ता खानदान भूमि विक्रय कर सकता है। विपक्षी की ओर से अपने जवाब और बहस के समर्थन में सीजे 2017 (3) पेज 2002 राजस्थान हाईकोर्ट की पेश की गई और अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रकरण में प्रार्थीगण अपने पैतृक सम्पति मे से अपना हक हिस्सा जो जन्म से निहित है वो प्राप्त करना चाहते है और विपक्षी की ओर से मुख्य कथन है कि प्रार्थीगणो के द्वारा विपक्षी संख्या 3 की माता एवं प्रार्थीगणो के पिता की सेवा एवं ईलाज नही करने से विपक्षी संख्या 3 के पास ओर कोई सोर्स नही होने से भूमि विक्रय कर ईलाज कराया गया है। इस प्रकरण में प्रार्थना पत्र और जवाब के आधार पर यह बिन्दु उभर कर आया कि विपक्षी को ईलाज की कब आवश्यकता पड़ी तथा भूमि विक्रय कब की गई। पत्रावली में विपक्षी की ओर से जो ईलाज की पर्चीया लगाई गई जिसके अवलोकन से पाया कि विपक्षी संख्या 3 अगस्त 2020 से बीमार चल रहा था जिसके ईलाज हेतु भूमि को विक्रय करना विपक्षीगण के जवाब से प्रतीत होता है किन्तु यहां इस बात पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि माना कि विपक्षी संख्या 3 के द्वारा अपने ईलाज के लिये भूमि विक्रय की गई किन्तु विपक्षी संख्या 3 के साथ में विपक्षी संख्या 1, 2, 4 के द्वारा भी अपना हिस्सा विपक्षी संख्या 3 के साथ विक्रय किया गया जिसमें विपक्षी 1, 2 और 4 के द्वारा भूमि विक्रय का कोई विपक्षी की ओर से कारण प्रस्तुत नही किया गया। इससे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि मुख्य रूप से भूमि विक्रय विपक्षी संख्या 1, 2, 4 के द्वारा विक्रय की गई उसके साथ में 3 के द्वारा भूमि विक्रय की गई अर्थात समस्त खातेदारो के द्वारा भूमि विक्रय की गई। इससे यह जाहिर होता है कि अन्य विक्रेता के साथ में विपक्षी संख्या 3 के द्वारा भी भूमि विक्रय की गई है। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 3 के द्वारा आराजी संख्या 2[illegible] कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि भी विक्रय की गई है जो उक्त भूमि विके[illegible]अर्जित हो सकती है। स्वअर्जित भूमि विक्रय करने पर प्रार्थीगणो द्वारा को[illegible] प्रार्थीगणो के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जो मौरूषी जायदाद हो[illegible]जी के समय की है जिसमें प्रार्थीगणो का जन्म से हक और अ[illegible]क्षी संख्या 3 की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नही किया गया कि प्रार्थीगणो को सूचित किया गया हो विपक्षी संख्या 3 के ईलाज में खर्चा और सेवा नही करने पर भूमि विक्रय कर दी जायेगी। वास्तवमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 3 किस बात को लेकर आपस मनमुटाव होकर दुर हुए है भूमि विक्रय की क्या मजबुरी थी और आगे भी जो विपक्षीगण के नाम भूमि दर्ज रेकार्ड है उसको भी विक्रय की जा सकती है जिससे पक्षकारो के मध्य विवाद बढ़ेगा। पक्षकार आपस में पिता व पुत्र पुत्री है। प्रार्थीगण की भूमि पैतृक होने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित होता हैं। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अगर विपक्षी संख्या 3 के द्वारा शेष जो भूमि है उसको भी विक्रय कर दे या जो भूमि विक्रय की गई उसका नामान्तकरण विपक्षी संख्या 5 के पक्ष में खुलने पर प्रार्थीगण को बेदखल करने की संभावना है। अगर प्रार्थीगण को पैतृक भूमि से बेदखल कर दिया जाता है या विपक्षीगण के द्वारा ओर आगे भूमि विक्रय कर दी जाती है तो पक्षकारो के मध्य कानूनी जटिलता बढ़ेगी एवं आपस में परिवार में विवाद बढ़ेगा। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के द्वारा जो प्रार्थनापत्र एवं वाद में जो तथ्य अकिंत किये गये है उसके विरूद्व विपक्षी एवं प्रतिवादीगण की ओर से जो जवाब प्रस्तुत किया गया है वो सारे तथ्य प्रकरण में साक्ष्य के बाद स्पष्ट होगें। विपक्षी अधिवक्ता की ओर से जो इस प्रकरण में न्यायिक दृष्टान्त के रूप में 2017 (3) सीजे (CIV.) (RAJ.) पेज 2002 प्रस्तुत किया गया है। इस दृष्टान्त का अध्ययन करने से पाया कि उक्त दृष्टान्त हिन्दु अवयस्कता एवं संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 8 से सम्बधित है। उस धारा के तहत् नाबालिक बच्चो के भरण पोषण शिक्षा दिक्षा आदि के लिये कर्ता खानदान के द्वारा भूमि विक्रय की जा सकती है उसमें न्यायालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नही होना न्यायिक दृष्टान्त में दर्शाया गया है। इस प्रकरण में तथ्य अलग तरह के है जिससे उक्त प्रकरण पर यह न्याययिक दृष्टान्त चस्पा नही होता है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा कि परिवार में वादवर्णित भूमि को लेकर आगे कोई विवाद नही बढ़े इसको ध्यान में रखते हुए मूल वाद के निस्तारण तक रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाना आवश्यक समझता हॅु।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निर्णय तक इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम थोरियाखेड़ा की नवीन आराजी संख्या 536 रकबा 0.11 है0, 537 रकबा 0.01 है0 गे.मु.आचा., 538 रकबा 0.36 है0, 539 रकबा 0.33 है0, 540 रकबा 0.22 है0, 578 रकबा 0.30 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.33 है0 व ग्राम भटेवर की नवीन आराजी संख्या 1175 रकबा 0.32 है0, 1941 रकबा 0.22 है0, 1942 रकबा 0.02 है0 गे.मु.आ.चा, 1943 रकबा 0.16 है0, 1946 रकबा 0.08 है0, 1947 रकबा 0.26 है0, 1948 रकबा 0.15 है0, 1949 रकबा 0.15 है0, 1950 रकबा 0.08 है0, 1964 रकबा 0.11 है0, 1965 रकबा 0.11 है0, कुल किता 11 कुल रकबा 1.66 है0 भूमि में निहित प्रार्थीगण को अपने हक एवं हिस्से से जबरन बेदखल नही करे, प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवे, किसी अन्य अजनबी को प्रवेश नही करावे, न ही किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस करें। रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:33 IST
Reason: SelfAttested

13/04/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा